(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 61–दो/97 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–2–97 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 160/96–97/निगरानी.

मोतीराम पिता रामा
निवासी ग्राम मातमौर
तहसील बागली जिला देवास .....आवेदक

विरूद्ध

1– सुगनबाई पति मांगीलाल
2– मन्नु पिता कन्हैयालाल
3– गंगाराम पिता देवा (मृतक)
4– गोपी पिता देवा
5– अम्बाराम पिता देवा
निवासीगण ग्राम मातमौर
तहसील बागली जिला देवास .....अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–2–97 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, बागली के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

कि वे ग्राम मातमौर तहसील बागली स्थित भूमि सर्वे कमांक 107 व 110 रकबा 0.709 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 101 व 109 रकबा 1.963 हेक्टेयर के भूमिस्वामी हैं । उक्त भूमियों पर आने–जाने हेतु रूढ़िगत रास्ता था, जिसे आवेदक द्वारा बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/96–97 दर्ज कर दिनांक 25–10–96 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–2–97 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा संक्षिप्त आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का अभिलेख मंगाये बिना एवं आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाने का आदेश देने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 25–10–96 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–2–97 को आदेश पारित कर अग्राह्य की गई है, और अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी वर्ष 1997 से इस न्यायालय में लम्बित है । अतः इतने अधिक समय पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना वैधानिक एवं

न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होने से अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर